शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/आरटीई/2024/1481 भोपाल, दिनांक 26.03.2024

आरटीई प्रवेश प्रकिया
द्वितीय चरण

प्रति,

1. **समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश**
2. **समस्त जिला परियोजना समन्वयक,मध्यप्रदेश**

विषयः— शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया द्वितीय चरण के संबध में।

सन्दर्भः— कार्यालयीन पत्र कंमाक/राशिके/आरटीई/2024/771 भोपाल दिनांक 21.02.2024

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। प्रथम चरण के उपरांत स्कूलों में रिक्त रह गयी सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाना है। सत्र 2024—25 द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश निम्नानुसार है।

1:— आवेदको को पृथक से आवेदन एवं सत्यापन कराने की आवश्यकता नही है। आवेदन में केवल स्कूल की च्वाइस ही अपडेट हो सकेगी।

2:— द्वितीय चरण में स्कूल च्वाइस अंपडेट करने हेतु वह आवेदक पात्र नही है जो सत्यापन उपरांत अपात्र पाये गये थें।

3:—जिन आवेदको को प्रथम चरण में स्कूल आवंटन हुआ है एवं आवंटित स्कूल में प्रवेश ले लिया है वह द्वितीय चरण हेतु पात्र नही है।

4:— आवेदक जिन्होने सत्र 2024—25 प्रथम चरण में आवेदन किया था एवं सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये थें किन्तु प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नही हुआ है अथवा प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संबंधित स्कूल में प्रवेश नही लिया है वह द्वितीय चरण हेतु स्कूल की च्वाइस अपडेट कर सकते है।

द्वितीय चरण प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारणी निम्नानुसार हैः—

क्र.	गतिविधियॉ	समय—सीमा
1	आवेदको द्वारा स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जाना	दिनांक 02 से 04 अप्रैल 2024 तक
2	**द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन लॉटरी**	**08 अप्रैल 2024**
3	आवंटन उपरांत स्कूल में प्रवेश एवं संबंधित स्कूल द्वारा मोबाइल एप से एडमीशन रिपोर्टिंग	12 से 18 अप्रैल 2024 तक

शेष निर्देश पूर्ववत ही रहेगे। उपरोक्त प्रक्रिया एवं समय सारणी से अवगत कराते हुये समय सीमा में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

26/03/2024

(धनराजू एस.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ.क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2024 / 1482 भोपाल, दिनांक 26.03.2024

प्रतिलिपिः–

1 निज सहायक, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।

2 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।

3 प्रबंध संचालक, MPSEDC State IT Center अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही वावत।

4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिलें म.प्र.।

5 जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र. की और पालनार्थ।

6 समस्त विकासखंड श्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र समस्त जिले म.प्र. की और पालनार्थ।

26/03/2024

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द